



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, कोटा

दूरभाष नं० 0744-2472355, 2472216

आपातकालीन नं० 101 0744-2392201

ईमेल: cfokota101@gmail.com,



Smart Kota
स्वच्छ व हरित भारत

क्रमांक :- ननिको/फायर/2017/

938

दिनांक :- 17-10-17

प्रेषित :-

श्रीमान आयुक्त महोदय,
नगर निगम कोटा।

विषय:- खं० नं० 105 ग्राम खण्ड गावडी तह० लाडपुरा स्टेशन रोड सिविल लाईन कोटा पर बहुमंजिला भवन/रिहायशी ईमारत निर्माण हेतु अग्निशमन की दृष्टि से अस्थाई अभिशंषा पत्र बाबत।

प्रसंग:- इस कार्यालय के पत्रांक ननिको/फायर/2014/666 दिनांक 08.12.2014 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैसर्स निओ ड्रीम होम्ज प्रा० लि० के निदेशक श्री मुकेश हीरानन्दानी पुत्र श्री अशोक हीरानन्दानी, रेल्वे स्टेशन रोड सिविल लाईन कोटा ने दिनांक 11.10.2017 को इस विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खं० नं० 105 ग्राम खण्ड गावडी तह० लाडपुरा स्टेशन रोड सिविल लाईन कोटा में बहुमंजिला इमारत (रिहायशी/व्यावसायिक) का पूर्व के संलग्न मानचित्रों को संशोधित करते हुए निर्माण करवाना चाहते हैं, इसके लिए अग्निशमन की दृष्टि से उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाए। उक्त बहुमंजिला ईमारत श्री दिलीप सिंह पुत्र स्व० श्री दलेल सिंह से श्री मुकेश हीरानन्दानी निदेशक मैसर्स निओ ड्रीम होम्ज प्रा० लि० द्वारा खरीद/क्रय कर ली गई है। इससे संबंधित दस्तावेज अग्निशमन अनुभाग में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। इस क्रम में मौका निरीक्षण किया गया एवं अग्निशमन की दृष्टि से भवन/ईमारत निर्माण की अस्थाई अभिशंषा की जाती है, परन्तु प्रार्थी मैसर्स निओ ड्रीम होम्ज प्रा० लि० के निदेशक श्री मुकेश हीरानन्दानी पुत्र श्री अशोक हीरानन्दानी, रेल्वे स्टेशन रोड सिविल लाईन कोटा को निम्न शर्तों का पालना करनी होगी :-

1. भवन/ईमारत का निर्माण नगर विकास न्यास/नगर निगम कोटा की स्वीकृति के अनुसार प्रचलित नियमों के तहत करवाया जाना होगा।
2. भवन/ईमारत में फायर हाइड्रेंट, वेट-राइजर सिस्टम मय होज रील, होज-पाइप आदि, आपातकालीन बचाव की सीढ़ियां, स्प्रिंकलर सिस्टम, पम्प रूम, फायर एलार्म सिस्टम, आग बुझाने के लिये ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक, फायर एक्सटिंग्यूशर आदि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होंगे।
3. भवन/ईमारत के चारों ओर अग्निशमन वाहन की सरलता से पहुंच हेतु पर्याप्त खुला स्थान नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना होगा।
4. यदि किसी प्रकार की कोई राशि बकाया हो तो नियमानुसार बकाया राशि नगर निगम/नगर विकास न्यास में आवेदक द्वारा जमा करानी होगी।
5. भवन की अधिकतम ऊंचाई 41 मीटर से अधिक स्वीकृत नहीं की जावे।

भवन/ईमारत में स्थापित किए गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सदैव सही व कार्यशील अवस्था में रखने होंगे एवं कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र/उपकरणों को उपयोग में लेने की जानकारी होना आवश्यक होगा। यह अस्थाई अभिशंषा पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक मान्य होगा।

(संकाय जर्मा) शर्मा
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम कोटा